



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

/2018 पुनरीक्षण I/फिरानी/छतरपुर/भूरा/2018/2041

1. पदम सिंह पुत्र मूरत सिंह
2. कदम सिंह पुत्र मूरत सिंह
3. शान सिंह पुत्र मूरत सिंह
4. सुधार सिंह पुत्र मूरत सिंह

निवासीगण ग्राम विराहीखेडा तहसील
गौरिहार जिला छतरपुर (म.प्र.)

.... आवेदकगण

विरुद्ध

मुलायम सिंह पुत्र गुलाब सिंह
निवासीग्राम विराहीखेडा तहसील गौरिहार
जिला छतरपुर (म.प्र.)

.... अनावेदक

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक
802/स्व.प्रे.निग./अ-6-अ/07-08 में पारित आदेश दिनांक
30.1.2018 के विरुद्ध म.प्र. मू. राजस्व संहिता 1959 की धारा
50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि :-

- 1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

— 2 —
न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक—एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/2041

पदम सिंह आदि विरुद्ध मुलायम सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18-03-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 802/स्व.प्रे.निग./अ-6-अ/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 30-01-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 13-05-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p style="text-align: right;">(आर0के0 जैन) 18/3/19 सदस्य</p>